फोन: 0291 -5153702
0291 -5153704

# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
# राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/ 10814-1082 दिनाँक: 2-2-22

1. प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. माहरूख मिर्जा, कुलपति, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, सीतापुरा-हरदोई बाईपास रोड़, लखनऊ-226013
3. प्रो. महेश दीक्षित, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
4. प्रो. मोहम्मद शोएब आजमी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
5. प्रो. पंकज शर्मा, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
6. प्रो. अंकेश सिंह, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
7. प्रो. मीता कोटेचा, चेयरमैन, आयुर्वेद अध्ययन मण्डल, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
8. प्रो. ए.के. मूर्ति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
9. प्रो. रविन्द्रसिंह, प्राचार्य, भंवरलाल दूग्गड़ आयुर्वेद विश्वभारती, सरदारशहर।
10. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, शरीर रचना विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
11. डॉ. राजेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थ) एवं विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
12. डॉ. गोविन्द प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थ), रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
13. डॉ. एकलव्य बोहरा, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
14. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

**विषयः- डॉ.एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का 51 उपवेशन दिनांक 11 जनवरी 2022 के कार्यवाही विवरण के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का **51**वां उपवेशन जो दिनाँक **11.01.2022** को माननीय कुलपति महोदय प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार की अध्यक्षता में प्रातः **11.00** बजे कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिशः/विडियो कॉफ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय को समिति द्वारा अनुमोदित कार्यवाही विवरण आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

**संलग्नः कार्यवाही विवरण पृष्ठ संख्या 01 से 014 तक।**

कुलसचिव

# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
# राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

## विद्या परिषद् का 51वां उपवेशन

# 11 जनवरी 2022

## कार्यवाही विवरण

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कड़वड़, जोधपुर

फोनः 0291 -5153702
0291 -5153704

# डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
# राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./एके/एफ-3/(AC)/(01)/ /06-07/ दिनाँकः

## कार्यवाही विवरण - विद्या परिषद्

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की विद्या परिषद् का **51**वां उपवेशन दिनाँक **11.01.2022** को माननीय कुलपति महोदय प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार की अध्यक्षता में प्रातः **11.00** बजे कोविड-19 की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिशः/विडियो कॉफ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन विश्वविद्यालय के करवड़, नागौर रोड़, जोधपुर स्थित प्रशासनिक खण्ड में आयोजित किया गया, जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण व्यक्तिशः उपस्थित हुए :-

1. प्रो. (डॉ.) अभिमन्यु कुमार, कुलपति एवं अध्यक्ष, डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. प्रो. पंकज शर्मा, अधिष्ठाता (होम्योपैथी संकाय) एवं निदेशक, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च संस्थान, जयपुर
3. प्रो. अंकेश सिंह, अधिष्ठाता, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्राचार्य, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
4. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, शरीर रचना विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
5. डॉ. गोविन्द प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थ), रोग एवं विकृति विज्ञान विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
6. डॉ. एकलव्य बोहरा, स्वास्थ्य कल्याण इस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं योगिक साईंस, जयपुर
7. डॉ. राजेश कुमार शर्मा, एसोसियेट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर क्रिया शारीर विभाग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर
8. कुलसचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

**उपवेशन में निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉफ्रेंस द्वारा ऑन-लाईन उपस्थित हुएः-**

1. प्रो. माहरूख मिर्जा, कुलपति, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय, सीतापुरा-हरदोई बाईपास रोड़, लखनऊ-226013
2. प्रो. महेश दीक्षित, अधिष्ठाता (आयुर्वेद संकाय) एवं प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर
3. प्रो. मोहम्मद शोएब आजमी, अधिष्ठाता (यूनानी संकाय) एवं प्राचार्य, राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, गुर्जर मोहल्ला, खो- नागोरियान, जगतपुरा रोड़, जयपुर
4. प्रो. मीता कोटेचा, चेयरमैन, आयुर्वेद अध्ययन मण्डल, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
5. प्रो. ए.के. मूर्ति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
6. प्रो. रविन्द्रसिंह, प्राचार्य, भंवरलाल दूग्गड़ आयुर्वेद विश्वभारती, सरदारशहर

सर्वप्रथम विद्या परिषद् दिनाँक **11** जनवरी **2022** को आयोजित उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का माननीय कुलपति महोदय के स्वागतोपरान्त मद पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई :-

| क्र.सं. | एजेण्डा बिन्दु विवरण | विद्या परिषद् द्वारा लिया गया निर्णय |
|---|---|---|
| 1. | विद्या परिषद् के उपवेशन दिनाँक 12 जनवरी 2021 के अनुपालना का अनुमोदन। | एजेण्डा 01 के विद्या परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के एजेण्डा संख्या-01 के विद्या परिषद् उपवेशन दिनांक 22 जुलाई 2019 के **बिन्दु संख्या-05** के अन्तर्गत एक वर्षीय योग चिकित्सा स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पैरामेडिकल स्नातक को भी प्रवेश दिए जाने के निर्णय लेने के साथ अनुमोदन किया गया।<br>**बिन्दु संख्या-11** डॉ.एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर संशोधित सेवानियम 2019 के अन्तर्गत शैडयूल 02-(A) Teaching में निर्धारित शैक्षणिक पदों यथा सहायक प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर (सीनियर स्केल), एसोसियेट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर हेतु सीधी भर्ती एवं पदौन्नति के संबंध में आवश्यक संशोधन प्रबन्ध बोर्ड के उपवेशन दिनांक 15 जनवरी 2021 में प्रस्तुत किए गए थे जिसे प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा चुका था परन्तु शैक्षणिक कार्मिकों द्वारा पुनः संशोधन हेतु निवेदन किए जाने के फलस्वरूप इस पर आवश्यक प्रक्रिया कर इसमें पुनः संशोधन किये जाने बाबत् प्रस्तुत ANNEXURE (Page No.34) को माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर चर्चा फलस्वरूप सर्वसम्मति से संशोधित सेवानियम 2019 के शैडयूल 02-(A) Teaching में प्रस्ताव अनुसार संशोधन को अनुमोदित किया गया तथा इसे प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।<br>**बिन्दु संख्या-25 (3.1)** के संबंध में चूंकि विश्वविद्यालय में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसरों को प्रोफेसर कार्यव्यवस्थार्थ तथा सहायक प्रोफेसरों को एसोसिएट प्रोफेसर कार्यव्यवस्थार्थ 01 वर्ष की अवधि हेतु लगाया जा चुका है । यह अवधि माह जनवरी 2022 मे पूर्ण हो रही है। अतः विद्या परिषद् की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जाए। |

| | | |
|---|---|---|
| | | **बिन्दु संख्या-25 (3.3)** के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि तत्कालिन डीन की नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व में लिये गये निर्णय की विधिक शाखा पुनः संमीक्षा कर माननीय कुलपति महोदय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करावें। प्रस्तुत रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।<br>**बिन्दु संख्या-25 (3.4)** के संबंध में यूनिवसिर्टी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद जोधपुर के नाम परिवर्तन के सम्बंध में इस हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत नामों पर विचार-विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से इसका नाम University Post Graduate Institute of Ayurveda Studies & Research (UPGIAS&R) Jodhpur किया जाए तथा इसमें संस्था प्रधान का पद प्राचार्य/निदेशक किये जाने का निर्णय लिया गया।<br>**बिन्दु संख्या-25 (7)** के सम्बन्ध में सी.सी.आई.एम./एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली के अनुसार पंचकर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का अनुमोदन किया गया।<br>**बिन्दु संख्या-25 (9)** के संबंध में डॉ. मोनिका वर्मा को पी.एचडी धारित होने के कारण अतिरिक्त वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने बाबत् राज्य सरकार को वि.वि. के पत्रांक 9316 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा निवेदन किया जा चुका है। प्रकरण में वित्त नियंत्रक से टिप्पणी प्राप्त कर इस पर निर्णय हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।<br>विद्या परिषद् का उपवेशन दिनांक 12 जनवरी 2021 के शेष सभी एजेण्डा की अनुपालना का अनुमोदन किया गया। |
| 2. | कोविड-19 की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार सत्र 2021-22 की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर बी.ए.एम.एस/बी.यू.एम.एस/बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाई.एस/बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालयों को सम्बद्धता हेतु की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श। | सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | शैक्षणिक सत्र 2019-20 अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2020 तक उत्तीर्ण स्नातकोत्तर (आयुर्वेद/होम्योपैथी) एवं स्नातक (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) विद्यार्थियों की प्रस्तुत सूची तथा डिग्री प्रारूप (एन.सी.आई.एस.एम.,नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रारूपानुसार) एवं माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव हेतु विचार-विमर्श। | सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |
| 4. | बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2019-20 अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2020 तक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि एवं गोल्ड मैडल दिये जाने पर विचार-विमर्श। | सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |
| 5. | वर्तमान पीएच.डी. नियम संख्या O.88.2 AWARD OF Ph.D. DEGREE: i) Final Ph.D. degree will be awarded after the approval of Board of Management. However, prior to actual award of the degree, the university shall issue a provisional certificate. के अनुसार पीएच.डी. (आयु.) अस्थायी प्रमाण पत्र का अकादमिक परिषद् व प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदन। | सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |
| 6. | विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा दिये गये आदेश/अन्तरिम आदेश की अनुपालना में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत विद्यार्थीयों को उत्तरपुस्तिका/ उत्तरपुस्तिकायें का अवलोकन कराने एवं फोटो कॉपी प्रति दिए जाने के | सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| | संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार-विमर्श। | |
| 7. | डॉ. एस.आर. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के अनुसंधान बोर्ड उपवेशन दिनांक 30.12.2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन। | इसमें चर्चा के दौरान माननीय सदस्यगणों द्वारा यह बताया गया है कि आयुर्वेद संकाय/होम्योपैथी संकाय की पीएच.डी. हेतु गाईड के नाम अनुमोदित किए जाने की कार्यवाही बाकी है। चूंकि इस हेतु विस्तृत एजेण्डा के पृष्ठ संख्या-120 पर (अनुसंधान बोर्ड के उपवेशन दिनांक 30.12.2021 के एजेण्डा बिन्दु संख्या-02 पर) पीएच.डी. मार्ग-दर्शन पंजीयन हेतु 05 शिक्षकों के पीएच.डी. सुपरवाईजर नियुक्त करने की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान की गई थी जबकि दिनांक 30.12.2021 को आयोजित रिसर्च बोर्ड के उपवेशन में 06 शिक्षकों को पीएच.डी. सुपरवाईजर बनाने हेतु रिसर्च बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।<br>इस सम्बन्ध में प्रभारी रिसर्च बोर्ड द्वारा 06 शिक्षकों को सुपरवाईजर बनाने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करावें। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत् माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। |
| 8. | यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक/अशैक्षणिक/ मेडिकल/पैरामेडिकल स्टाफ के पदों पर नियुक्ति एवं अन्य प्रस्तावित की गई कार्यवाही का अनुमोदन। | सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |
| 9. | यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नैच्युरोपैथी एवं यौगिक साइंस, जोधपुर हेतु बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत किये गये/किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यो का अनुमोदन। | सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |
| 10. | विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार की संस्थायें, अन्य विश्वविद्यालय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर आदि के साथ किये गये आपसी समझ-पत्रों का अनुमोदन। | सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |
| 11. | CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN YOGA & NATUROPATHY, New Delhi द्वारा निर्धारित MSR को विश्वविद्यालय के संघटक | चूंकि यह न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड आवश्यक नहीं, वैकल्पिक है। अतः प्रारम्भिक चरण में इसे वैकल्पिक (Optional) मॉडल एम.एस.आर. मानते हुए अनुमोदित किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| | तथा सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में लागू करने हेतु प्रस्ताव पर विचार-विमर्श। | साथ ही सम्बन्धित महाविद्यालय को परामर्श दिया जाता है कि इसे मैन्डेट्री होने तक इस मॉडल एम.एस.आर. के अनुरूप अपने महाविद्यालय में प्रारम्भिक स्तर पर आवश्यक कार्यवाही आरम्भ करावें। |
| 12. | सचिव, राज्यपाल राजस्थान के पत्रांक 6674 दिनांक 16 दिसम्बर 2021 के अनुसार Regarding equivalence & qualification of courses and schemes offered by Apex University Jaipur at par with the degrees of Dr. Sarvepali Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur के सन्दर्भ में समकक्षता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/प्रस्ताव विचार-विमर्श एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। | सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |
| 13. | यूनिवर्सिटी ध्वज (Flag) प्रारूप के सम्बन्ध में विचार-विमर्श। | इस पर हुई चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय ध्वज (Flag), पताका, MOTTO एवं परिसर में स्थित विभिन्न भवन/मार्ग के नामकरण हेतु समिति का गठन किया जाकर इस पर कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया। |
| 14. | प्राचार्य, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर के पत्र क्रमांक 3449 दिनांक 29.12.2021 पर विचार-विमर्श।<br>1. विश्वविद्यालय में संचालित बी.एससी. नर्सिंग चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में वर्तमान में शिक्षण-प्रशिक्षण कार्य यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद के शैक्षणिक स्टाफ से ही सम्पादित किया जा रहा है, वर्तमान में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद में 67 स्वीकृत शैक्षणिक पदों में से केवल 26 संकाय सदस्य | विद्या परिषद् के एजेण्डा संख्या-14 एवं एजेण्डा संख्या-15 को विद्या परिषद् के माननीय सदस्यगणों द्वारा सम्मिलित रूप से विचार-विमर्श कर विश्वविद्यालय के बी.एससी. (आयुर्वेद) नर्सिंग महाविद्यालय एवं आंगिक नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, पूंजला को समायोजित कर महाविद्यालय ''यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जोधपुर'' नामकरण का अनुमोदन किया गया।<br>इस महाविद्यालय के संचालन, **Feasibility** एवं अन्य आवश्यक संसाधनों का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु डॉ. राजेश कुमार शर्मा, प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थ) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जावें एवं प्राप्त रिपोर्ट पर कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | कार्यरत है। ऐसे में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद के संकाय सदस्यों द्वारा बी.एससी. नर्सिंग आयुर्वेद में शिक्षण कार्य नियोजन से गुणवत्ता पूर्वक शिक्षण कार्य में बाधा होती है।<br><br>अतः बी.एससी. नर्सिंग आयुर्वेद कॉलेज हेतु नियमित शैक्षणिक पदों के सृजन होने तक विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप ठेके के माध्यम से शैक्षणिक स्टाफ नियुक्त किये जाने हेतु विचारार्थ।<br>2. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद में यू.जी. पाठ्यक्रम में 125 तथा पी.जी. पाठ्यक्रम में 83 छात्रों को प्रति वर्ष प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में लगभग 700 से अधिक छात्र अध्ययनरत है। वर्तमान में बी.एससी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के चार बैच के सैद्धान्तिक व प्रायोगिक प्रशिक्षण यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद के भवन में हीं किया जा रहा है। पूर्व में बी.एससी. नर्सिंग का मात्र एक ही बैच था एवं बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में भी प्रवेश क्षमता 100 होने से व्यवधान नहीं होता था अब चार कक्षाएं होने के कारण कक्षाओं के कक्षों का अभाव है। अतः परिसर में अतिरिक्त भवन में कक्षाओं का संचालन किये जाने हेतु विचार। | |

| | | |
|---|---|---|
| | 3. स्नातकोत्तर अध्ययन (एम.डी./एम.एस.) विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के विभिन्न विभागों में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल्यांकन हेतु सभी विषयों में समरुपता रहे, वर्तमान में भिन्न-भिन्न विभागों के प्रश्नों पत्रों के मूल्यांकन हेतु अंकों की विषमता है। उसे समान किए जाने पर विचारार्थ। | इस हेतु विचार विमर्श के दौरान परीक्षा नियंत्रक द्वारा यह अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में एम.डी./एम.एस. पाठ्यक्रम एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही परीक्षा प्रणाली संचालित की जा रही है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। |
| **15.** | डॉ. एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संघटक बी.एससी. नर्सिंग आयुर्वेद (डिग्री पाठ्यक्रम) महाविद्यालय एवं मगरा पूंजला स्थित संघटक नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, मगरा पूंजला के सम्बन्ध में विचार-विमर्श :- | |
| | 1. विश्वविद्यालय के कड़वड़ परिसर में सत्र 2015 से 50 सीटों की प्रवेश क्षमता से संचालित बी.एससी. नर्सिंग आयुर्वेद (डिग्री पाठ्यक्रम) के लिये पृथक से भवन निर्माण (कॉलेज व छात्रावास) के साथ विश्वविद्यालय के MSR के अनुरूप आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था किया जाना साथ ही MSR अनुसार शैक्षणिक/अशैक्षणिक/मेडिकल/पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का सृजन हेतु विचार-विमर्श। | राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र में विद्या संबल योजना के अन्तर्गत शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध कराने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। |
| | 2. वर्तमान में कक्षा-कक्षों में आवश्यक फर्नीचर की अनुपलब्धता हैं जिसे क्रय किया जाने हेतु विचार-विमर्श | इस पर कार्यवाही हेतु वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया। |
| | 3. छात्र-छात्रओं को पीने के पानी की व्यवस्था हेतु 01 Water Cooler मय | इस पर कार्यवाही हेतु वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| | Aquagurd की व्यवस्था किये जाने पर विचार-विमर्श। | |
| | 4. कक्षा कक्ष के लिए LED Project का क्रय किया जाना निवेदित है ताकि नर्सिंग के छात्रों को भी LED Project के माध्यम से शिक्षण कार्य सम्पन्न करवाया जा सकें। | इस पर कार्यवाही हेतु वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया। |
| | 5. आयुष के अन्य डिग्री कोर्सो की तरह बी.एससी. नर्सिंग आयुर्वेद के छात्रों को भी अगली कक्षा में प्रमोट कर ATKT का लाभ दिया जाने हेतु विचार-विमर्श। | उक्त पर विचार-विमर्श कर लागू करने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |
| | 6. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद मे संचालित 11 स्नातकोत्तर विभागों में पी. जी. अध्येयताओं के लिए आवश्यक फर्नीचर एवं स्मार्ट डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करवाया जाने हेतु विचार-विमर्श। | इस पर कार्यवाही हेतु वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया। |
| | 7. चूंकि डॉ.एस.आर.राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के संघटक द्वारा बी.एससी. (आयुर्वेद) नर्सिंग कड़वड़ परिसर में संचलित किया जा रहा है इसे मगरा पूंजला स्थित संघटक नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, मगरा पूंजला में स्थानान्तरित किया जाये तथा इनका संयुक्त नाम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग करने एवं विश्वविद्यालय के MSR प्राचार्य सहित 09 विषयों में न्यूनतम 01-01 सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापक विद्या संबल योजना द्वारा भर्ती | सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| | किये जाने पर विचार-विमर्श। | |
| 16. | बी.एससी. (आयुर्वेद) नर्सिंग चतुर्थ वर्ष पाठ्यक्रम में शिक्षण पद्धति (Teaching Methodology) विषय में वर्तमान समय में संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए इसके पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु गठित समिति के सुझाव पर विचार-विमर्श। | इस पर चर्चा करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इसमें चतुर्थ वर्ष पाठ्यक्रम में शिक्षण पद्धति (**Teaching Methodology**) विषय का नाम परिवर्तन कर अनुसंधान पद्धति एवं सांख्यिकी (**Research Methodology and Statistics**) किया जाकर इसका संलग्न पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया गया साथ ही इस पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय में संशोधन हेतु समिति का गठन कर पाठयक्रम संशोधन हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। |
| 17. | एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं पंचकर्म तकनीकी सहायक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में प्रवेश नहीं दिये जाने पर सम्बद्धता शुल्क वापस लौटाने बाबत् प्रस्तुत पत्र पर विचार-विमर्श।<br>1. महात्मा ज्योति बॉ फूले आयुर्वेद महाविद्यालय, चौमूं।<br>2. धन्वंतरी आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, सीकर। | चूंकि महात्मा ज्योति बॉ फूले आयुर्वेद महाविद्यालय, चौमू विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त है अतः एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं पंचकर्म तकनीकी सहायक पाठ्यक्रम हेतु जमा कराए गए सम्बद्धता शुल्क में से आवेदन शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क छोड़कर शेष राशि का समायोजन महाविद्यालय द्वारा यदि इस पाठ्यक्रम हेतु आगामी किसी सत्र में आवेदन किया जाता है तो उसमें यह शेष सम्बद्धता राशि समायोजित कर लेने का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।<br>धन्वंतरी आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र, सीकर को उक्त पाठ्यक्रमों बाबत जमा करवाए गए सम्बद्धता शुल्क (आवेदन शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क छोड़कर) को वापस लौटाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |
| 18. | मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, अम्बामाता रोड़, उदयपुर द्वारा एक वर्षीय पंचकर्म तकनिकी सहायक पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 हेतु पूर्व में जमा सम्बद्धता शुल्क को आगामी सत्र 2021-22 हेतु निर्धारित शुल्क में समायोजन करने पर विचार-विमर्श। | मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, अम्बामाता रोड़, उदयपुर द्वारा इस हेतु जमा कराए गए सम्बद्धता शुल्क में से आवेदन शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क छोड़कर शेष राशि का समायोजन महाविद्यालय के इस पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय द्वारा आगामी किसी सत्र में आवेदन किया जाता है तो उसमें यह सम्बद्धता राशि समायोजित कर लेने का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |
| 19. | भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बी नारायण गेट, भरतपुर को बन्द करने एवं शैक्षणिक सत्र 2021-22 की | भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बी नारायण गेट, भरतपुर को जमा कराई गई सम्बद्धता शुल्क की राशि में से आवेदन शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क की कटौती की जाकर शेष राशि लौटाई |

| | | |
|---|---|---|
| | सम्बद्धता शुल्क वापस लौटाने हेतु संस्था द्वारा प्रस्तुत पत्र पर विचार-विमर्श। | जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |
| **20.** | विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खण्ड, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ यूनानी, टोंक, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी, जोधपुर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एण्ड योगिंक साईन्स, जोधपुर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जोधपुर तथा विश्वविद्यालय रसायनशाला के शैक्षणिक/अशैक्षणिक/मेडिकल/पैरामेडिकल स्टॉफ के नवीन पदों के सृजन के सम्बन्ध में। | नवीन पदों के सृजन हेतु औचित्य, पदों की संख्या, वेतनमान इत्यादि निर्धारण के लिए समिति का गठित की जाकर इस पर आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। विश्वविद्यालय में अतिआवश्यक सेवाऐ (सिक्योरिटी, गार्डनिंग, हाऊस कीपिंग एवं मेन्टेनेन्स सर्विसेज) सर्विस एजेन्सी के माध्यम से सेवा उपलब्ध करवाये जाने हेतु वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया। |
| **21.** | अनुपूरक एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।<br>**अनुपूरक एजेण्डा संख्या-01** विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा अनुपूरक एजेण्डा में निम्नबिन्दुओं पर निवेदन करने हेतु कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया :- | |
| | 1. राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के पत्रांक प.(1)रा.आ.न.प./ संस्था/ शैक्षणिक/2020-21/ 1334-35 दिनांक 08.09.2021 के क्रम में डी.ए.एन.एण्ड पी. पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2020-21 के नामांकन एवं परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर सम्पादित करने हेतु निवेदन किया है। अतः डी.ए.एन. एण्ड पी. पाठ्यक्रम की परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। | 1. इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श उपरान्त डी.ए.एन. एण्ड पी. पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों के नामांकन एवं परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर इस हेतु निर्धारित शुल्क राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर से लेकर सम्पादित किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| | 2. बी.एससी. (आयुर्वेद) नर्सिंग पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2021-22 की प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार स्तर पर लम्बित है। अतः इस सन्दर्भ में राज्य स्तर पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। | 2. चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि छात्र हितों को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा बी.एससी. (आयुर्वेद) नर्सिंग पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय संघटक एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया तथा सम्बद्धता की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के स्तर पर किए जाने का अनुमोदन किया गया।<br>इस हेतु राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के पत्र क्रमांक 2620-21 दिनांक 10.01.2022 के क्रम में प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जावें एवं प्राप्त रिपोर्ट पर कार्यवाही करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया। |
| | 3. शैक्षणिक सत्र 2017-18 में प्रवेशित स्नातकोत्तर आयुर्वेद उपाधि धाराकों को उपाधि के साथ गोल्ड मेडल एवं वरियता प्रमाण-पत्र प्रदान की जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। | 3. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |
| | **अनुपूरक एजेण्डा संख्या-02** विश्वविद्यालय के डीन अकादमिक (पी.जी.) द्वारा अनुपूरक एजेण्डा में विश्वविद्यालय के संघटक एवं मान्यता प्राप्त आयुर्वेद/होम्योपैथी स्नातकोत्तर तथा पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया की काउंसलिंग हेतु कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधानों के अनुसार रोस्टर की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रवेशित अध्येताओं के सीट आवंटन में निम्न प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है :- | |
| | 1. उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभागों का क्रम CCIM/NCISM नई दिल्ली में उल्लेखित क्रम की पालना किया जाना प्रस्तावित है। | 1. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |
| | 2. आरक्षण अनुसार सीटों के आवंटन में सीटों की गणना राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के अनुसार 0.99 तक के अंक विभाजन में सीट नहीं की जाकर पूर्णांक पर ही संबंधित विभाग में सीट आवंटन किया जाना है। | 2. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |
| | 3. राज्य सरकार के कार्मिक विभाग प्रावधानों के अनुसार EWS-10%, OBC-21%, MBC-5%, ST-12% | 3. सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| | (TADA-45%), SC-16% तथा विशेष योग्यजन (शिक्षा) 5 प्रतिशत आरक्षण (Horizontal) क्रम से सीट आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। | |
| | **अनुपूरक एजेण्डा संख्या-03**<br>विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक परिषद् के अनुपूरक एजेण्डा में डॉ. ए. नीलिमा द्वारा पीएच.डी. हेतु दिए गए प्रार्थना-पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। | इस पर हुई चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों की जांच हेतु डॉ. राजेश कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष, क्रिया शारीर एवं प्रोफेसर (कार्यव्यवस्थार्थ) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की जाए। |
| | **अनुपूरक एजेण्डा संख्या-04**<br>विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् के माननीय सदस्य डॉ. एकलव्य बोहरा द्वारा अनुपूरक एजेण्डा में विश्वविद्यालय के संघटक एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातोकत्तर नेचुरोपैथी एवं यौगिक साईंस पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुरोध किया गया। | इस सम्बन्ध में पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता आदि के बारे में विस्तृत रिपोर्ट समिति के माध्यम से प्राप्त की जाए। |

अन्त में धन्यवाद के साथ उपवेशन समाप्त हुआ।

उक्त कार्यवाही विवरण अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया (पृष्ठ संख्या 01 से 014 तक)।

(सदस्य सचिव) कुलसचिव

21/1/22